

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - सीडर/19/ 158

दिनांक 28/8/19

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- कानपुरा

तहसील :- मसूदा

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि				नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
			ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किरम जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किरम जमीन
1	2019/00216	3392 16.07.2019	कानपुरा	865	02-19-00	गै.मु. दांती	865	02-19-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00217	3391 16.07.2019	कानपुरा	362	43-07-00	गै.मु. दांती	362/1	02-08-00	गै.मु. रास्ता
3	2019/00217	3391 16.07.2019	कानपुरा	379	13-15-00	गै.मु. दांती	379/1	01-06-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00217	3391 16.07.2019	कानपुरा	714	32-05-00	गै.मु. दांती	714/1	00-08-00	गै.मु. रास्ता
5	2019/00218	3390 16.07.2019	कानपुरा	351	04-03-00	गै.मु. दांती	351/1	01-16-00	गै.मु. रास्ता
6	2019/00218	3390 16.07.2019	कानपुरा	362	43-07-00	गै.मु. दांती	362/1	00-16-10	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

